3038
8/9/09

राजस्थान सरकार
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
निदेशालय, खान एंव भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhawan, उदयपुर/Udaipur.313001
दूरभाष/Phone 0294-2415091-94, फेक्स/Fax:0294-2410526
E-mail : dmgraj@dmg-raj.org

कमांकः निखाभू/आमेट/सीसी.7/प.1(1) 36/2008/ दिनांकः

आदेश

चूँकि श्री विष्णु शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा निवासी जिला जयपुर द्वारा प्रधान खनिज रियायत नियमावली,1960 के नियम 22(1) के अन्तर्गत खनिज क्वार्टज, फेल्सपार के लिये निकट ग्राम लाखा का गुडा तहसील भीम जिला राजसमन्द में खनन पट्टा अनुदान चाहने हेतु दिनांक 5.3.08 को कार्यालय खनि अभियंता, आमेट में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

और चूकि निदेशालय संतुष्ट है कि आवेदक राज्य में प्रवर्तमान सम्बद्ध नियमों के अनुसार उक्त क्षेत्र के खननपट्टा अनुदान हेतु उपर्युक्त पक्ष (पार्टी) है तथा वह क्षेत्र जिसके लिए आवेदक द्वारा रियायत चाही गई है, अनुदान के लिए रिक्त है। अधीक्षण खनि अभियंता, उदयपुर वृत उदयपुर के पत्र कमांकः SME/UD-Cir./Mine Plan /Raj / Major/F-08/2009/2538 दिनांक 13.8.09 के द्वारा खनन योजना एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान का अनुमोदन किया जा चुका है।

अतः खनिज रियायत नियमावली, 1960 एवं एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 तथा उसमें समय-समय पर हुए संशोधनों, उल्लेखित निबंधों और प्रतिबन्धो पर आवेदक के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता है:-

1.	खनिज-	क्वार्टज, फेल्सपार ।
2.	क्षेत्रफल एवं क्षेत्र का विवरण	4.2969 हैक्टर निकटग्राम लाखा का गुडा तहसील भीम जिला राजसमन्द में विवरण पत्र के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल मौके पर सीमांकन के समय उपलब्ध भूमि के अनुसार निर्धारित होगा।
.3	खननपटटा अवधि-	संविदा पंजीयन की तिथि से 30 वर्ष।
4.	स्थिर भाटक-	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) एक्ट 1957 की तृतीय अनुसूची के अनुसार एवं समय समय पर उसमें संशोधनानुसार ।
5.	प्रतिभूति राशि-	रू. 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र)।
6.	अधिशुल्क-	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार एवं समय समय पर उसमें संशोधनानुसार ।
7.	भूतल भाटक-	जैसा कि राजस्व अधिकारी निर्धारित करें।
8.	अन्य कर-	राजकीय नियमानुसार।
9.	अन्य शर्ते-	पट्टाधारी संविदा निष्पादन से पूर्व एम.सी.डी.आर. 1988 के नियम 23 (एफ) के तहत वित्तीय आश्वासन के रूप में रूपयां 15,000/- प्रति हैक्टर अथवा एक लाख रूपया जो भी अधिक हो उसके बराबर नियमों में दिये गये प्रावधान के अनुसार जमा करायेगा ।

नोटः-

1. यदि अनुदायी इस आदेश की तिथी से छः माह के भीतर समुचित इकरारनामा निष्पादित नही करायेगा तो यह आदेश बिना सूचना के ही प्रतिसंहृत (रिवोक) कर दिया जायेगा।
2. जब तक अनुदानी समुचित इकरारनामा निष्पादित कर संविदा का पंजीयन करा प्रस्तुत नहीं कर दे, तब तक क्षेत्र में खनन कार्य आरम्भ नहीं करेगा ।

3. Reconnaissance Permit एवम पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के तहत बेस मेटल के हवाई सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण कार्य हेतु स्वीकृत Reconnaissance Permit एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र धारक को पूर्वेक्षण कार्य मे बाधा उत्पन्न नही करेगा ।

4. Reconnaissance Permit एवम पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के तहत क्षेत्र मे कोई बेस मेटल पाया जाता है एवं बेस मेटल का कोई खननपट्टा स्वीकृत होता है तो आपके पक्ष मे स्वीकृति खान को अनुदान हेतु छोडना होगा ।

निदेशक
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर ।

कमांकःनिखाभू/ 1303 दिनांकः -7 SEP 2009

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. खनि अभियंता, आमेट को उनके पत्र कमांकः 471 दिनांक 10.2.09 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ कि :—

(क) संविदा निष्पादन हेतु समस्त औपचारिकताए स्वीकृति आदेश प्राप्ति की तिथि से 45 दिन के भीतर पूर्ण करावें एवंम संविदा निष्पादन आदेश जारी होने की तिथि से छः माह मे किया जावे ।

(ख) सीमांकन रिपोर्ट में इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा दिया जायेगा कि सीमांकित क्षेत्र वन भूमि मे नही आता है एवं वन भूमि से 25 मीटर से अधिक दूरी पर हैं ।

(ग) आवेदक से आदेश के नोट मे अंकित कम संख्या 3 व 4 के अनुसार अण्डर टेकिंग प्राप्त कर संविदा निष्पादन करे।

रजि.ए0डी 2. श्री विष्णु शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा, निवासी ई—46 ए, प्रिन्स स्ट्रीट, 4 वां एवेन्यु, लाल बहादुर नगर, जवाहर लाल नेहरू रोड, जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि संविदा निष्पादन की पूर्ण औपचारिकता आदेश प्राप्ति के 45 दिन के भीतर पूर्ण करावें एवंम आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह मे संविदा निष्पादन आवश्यक रूप से करावे, अन्यथा बिना सूचना के स्वीकृति विलोपित कर दी जावेगी।

3. महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, प्रथम मंजिल, डी ब्लोक, सिविल लाईन, इन्दिरा भवन नागपुर ।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरों, उदयपुर ।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर जोन
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर वृत उदयपुर ।
7. जिला कलक्टर, राजसमन्द ।
8. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर ।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. अधीक्षक भूवैज्ञानिक, रिमोट सेंसिंग, के0का0 उदयपुर ।
11. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.ा)